

!! जय मीनेय !!

श्री मीना बालिका छात्रावास

हवाई अड्डे के सामने, इनालावाड़ रोड़, कोटा फोन : 0744-2436008 www.shreemeena.org.

फार्म संख्या

कीमत 100/-

अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक एवं
शैक्षणिक समिति कोटा द्वारा संचालित

प्रवेश नियम एवं निर्देशन पत्रिका





हल्दीघाटी मार्ग, सेक्टर-15, प्रतापनगर, जयपुर : 0141.2796880 www.shreemeena.org

क्षमता - 75 कमरे 150 छात्राओं के लिए
लागत - लगभग 2.75 करोड़ रुपये

सुविधाएँ

- साफ सुथरे वातानुकूलित कमरें ● हरा भरा गार्डन
- मैस की व्यवस्था ● परिवहन सुविधा उपलब्ध
- लाईब्रेरी सुविधा ● 24 घंटे सुरक्षा प्रहरी
- सीसी टीवी केमरे ● इजी एप्रोच



श्री मीना सामुदायिक भवन
एवं अतिथिगृह

लागत - लगभग 3 करोड़ रुपये

सुविधाएँ

- उत्तम घास युक्त लॉन/गार्डन
- नियमित ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे
- कान्फ्रेंस हॉल/मिटिंग हॉल उपलब्ध
- समाज के सभी स्थायी सदस्यों के लिए आधी दरों पर उपलब्ध
- खुला एवं स्वच्छ वातावरण ● केन्टिन सुविधा



छात्रावास : कोटा नगर में

कोटा भारत वर्ष में तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिये प्रसिद्ध है। जहाँ IIT, JEE Advance, NEET एम.बी.ए. एवं अन्य तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के प्रवेश हेतु कई कोचिंग (प्रशिक्षण) संस्थान कार्यरत हैं। इन संस्थाओं में पूरे देश से छात्र-छात्रायें शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। इनमें प्रमुख बंसल क्लासेज, ऐलन दासवानी क्लासेज, केरियर पाईन्ट, रेजोनेन्स, सर्वोत्तम, आई.आई.टी. के लिए वाईब्रेन्ट, मोशन इत्यादि प्रमुख हैं। आर्थिक दृष्टि के कमजोर वर्ग की प्रतिभावान छात्रायें धनाभाव के कारण कोटा में रहकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं। इसके साथ कई अभिभावक सुरक्षा कारणों के कारण अपनी बालिकाओं को शिक्षा के लिये अकेला नहीं भेज पाते हैं। परिणामतः आरक्षित वर्ग की कई सीटे प्रत्येक वर्ष रिक्त रह जाती है। इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मीना समाज ने 108 कमरों का बालिका छात्रावास का निर्माण करवाकर सुरक्षित एवं कम खर्च में उत्तम आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।

छात्रावास की स्थिति :-

श्री मीना बालिका छात्रावास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर कोटा हवाई अड्डे के सामने झालावाड़ रोड़ पर स्थित है। शहर के सभी मुख्य मार्गों एवं शिक्षण संस्थाओं से आवागमन की समुचित व्यवस्थायें उपलब्ध हैं। सभी प्रमुख कोचिंग संस्थान छात्रावास से दो-तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड से आने-जाने के लिये हर समय साधन उपलब्ध रहते हैं।

छात्रावास प्रबन्धन :-

1. छात्रावास का संचालन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसका चुनाव संस्था के स्थाई सदस्यों द्वारा किया जाता है।
2. छात्रावास का प्रशासनिक नियंत्रण, समिति द्वारा नियुक्त वार्डन के अधीन होगा, समिति वार्डन की सहायता के लिये एक या एक से अधिक सहायकों की भी नियुक्ति कर सकती है।
3. छात्रावास के प्रबन्धन के बारे में वार्डन एवं समिति के पदाधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है।

छात्रावास शुल्क :-

1. एक मुश्त वार्षिक प्रवेश शुल्क

अ. प्रवेश शुल्क	:	1500/-
ब. विकास शुल्क	:	1500/-
स. फर्नीचर शुल्क	:	400/-
द. पुस्तकालय शुल्क	:	400/-
य. क्रीडाशुल्क	:	150/-
र. काशनमनी (Refundable)	:	2000/-
कुल योग	:	5950/-

2. मासिक शुल्क :-

अ. भवन रखरखाव शुल्क	:	1800/-
ब. बिजली शुल्क	:	500/-
स. पानी शुल्क	:	200/-
कुल योग	:	2500/-

अमानत राशि 2000/- रुपये वार्षिक शुल्क के साथ जमा करानी होगी जिसको छात्रावास छोड़ने पर लौटा दिया जावेगा।

छात्रावास शुल्क की प्रारम्भिक रूप में एक मुश्त राशि 5950/- रुपये एवं माह का मासिक शुल्क 2500/- रुपये यानि कि कुल 8450/- रुपये अभ्यर्थी को आवश्यक रूप से प्रवेश के समय जमा कराना होगा। प्रारम्भ में मासिक शुल्क एक माह का ही लिया जायेगा। अतः एक माह पश्चात् प्रति माह के हिसाब से मासिक शुल्क देय होगा जो माह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं किये जाने पर 10/- प्रति दिवस पेनल्टी जमा करना होगा। यदि छात्रा द्वारा माह की 10 तारीख तक शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो उसे छात्रावास में रखे जाने के विषय में पुनः विचार किया जावेगा। छात्रावास में प्रवेश के समय एक मुश्त वार्षिक शुल्क जमा करवाने के बाद वापिस नहीं किया जायेगा।

मीना समाज की छात्राओं को किराये में 500/- रु. प्रतिमाह की रियायत प्रदान की जावेगी।

सुविधायें :-

छात्रावास में एयरकुलड 108 कमरे हैं एक कमरे में दो बालिकाओं के रहने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक बालिका के लिए टेबल, कुर्सी, आलमारी, पलंग, गद्दा, एवं पंखा तथा डक्ट की व्यवस्था है। छात्रा को स्वतंत्र रूम देने का प्रावधान समिति द्वारा नहीं किया गया है। प्रत्येक विंग में कॉमन लेटबाथ एवं वाशिंग रूम की व्यवस्था है। छात्रावास में पुस्तकालय की व्यवस्था भी है।

24 घण्टे पानी की समुचित व्यवस्था ट्यूबवेल द्वारा की गई है तथा प्रत्येक विंग में एक्वागार्ड से साफ एवं स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था है।

भोजनालय (मेस) :-

छात्रावास परिसर में आधुनिक सुविधायुक्त भोजनशाला एवं एयरकुलड डायनिंग हॉल है। मेस का संचालन अनुबन्ध के आधार पर है। छात्रावास अधीक्षक एवं छात्राओं की मेस समिति भोजन की गुणवत्ता व मानदंडों पर नियंत्रण रखा जाता है। भोजन शुल्क प्रति माह अनुबन्धकर्ता का अग्रिम देय होगा। समिति भोजन की गुणवत्ता एवं मासिक दर पर नियंत्रण रखेगी।

सफाई व्यवस्था :-

छात्रावास में कमरों को छोड़कर शेष भवन व परिसर की सफाई व्यवस्था अनुबन्ध के आधार पर की जायेगी। अपने कमरों की सफाई छात्राओं द्वारा स्वयं की जायेगी।

सुरक्षा व्यवस्था :-

छात्रावास प्रबन्ध समिति द्वारा छात्रावास की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए छात्रावास आवास नियमों को कठोर बनाया गया है। छात्रावास परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाये हुए हैं एवम् बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था की गई है।

छात्राओं एवं छात्रावास परिसर की सुरक्षा के लिए 24 घण्टे सुरक्षा प्रहरियों की व्यवस्था सुरक्षा एजेन्सी के द्वारा अनुबन्ध पर की गई है। अतः परिजनों व छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि प्रबन्धकों द्वारा लागू सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखे एवं नियमों का पालन करें।

यातायात :-

शहर के सभी प्रमुख कोचिंग संस्थान छात्रावास से 2-3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। सभी छात्राओं का संस्थान में जाने एवं आने का समय अलग-अलग होता है। संस्था द्वारा अनुबन्ध के आधार पर यातायात व्यवस्था की गई है जिसका भुगतान सीधा कार्यालय को किया जायेगा।

छात्रावास में प्रवेश के नियम :-

1. पात्रता

- कोटा में स्थित किसी भी कोचिंग संस्थान की छात्राएँ जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की हैं।
- वे छात्राएँ जो किसी भी महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं एवं जनजाति की हैं।
- आर्थिक दृष्टि से कमजोर पात्र उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी वर्ग व जाति की पात्र छात्राओं को प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर प्रवेश दिया जा सकेगा।

नोट :

- प्रवेश पूर्णतया योग्यता के आधार पर ही दिया जायेगा।
- 'अ' श्रेणी में पर्याप्त छात्राएँ उपलब्ध नहीं होने पर ही 'ब' श्रेणी की छात्राओं को पूर्णतया योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाली छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश महाविद्यालयों में प्रवेश प्रारम्भ होने के समय दिया जायेगा।
- अनुसूचित जनजाति की 'अ' एवं 'ब' श्रेणी की छात्राएँ उपलब्ध नहीं होने पर सभी वर्गों की छात्राओं को पूर्णतया योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।



छात्रावास के नियम

1. छात्रायेँ उन्हें कमरे में उपलब्ध कराई गई सामग्री यथा पंखा, ट्यूबलाईट, आलमारी, पलंग, गद्दा, कुर्सी मेज व अन्य सामानों की सुरक्षा एवं हिफाजत के लिये स्वयं जिम्मेदार होगी।
2. कमरों में बिजली के उपकरण, हीटर, टी.वी., रेडियो, म्यूजिक सिस्टम इत्यादि प्रयोग में लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. किसी भी छात्रा को अपने परिजन/रिश्तेदारों को छात्रावास में निवास करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. छात्रा के माता-पिता/भाई-बहिन या अधिकृत स्थानीय संरक्षक केवल रविवार को ही वार्डन की अनुमति से छात्रावास परिसर में मिल सकेंगे। अन्य व्यक्तियों से मिलने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
5. छात्राओं को अपने निवास स्थान पर जाने हेतु माता-पिता की सहमति के उपरान्त ही अनुमति दी जा सकेगी।
6. छात्राओं द्वारा अपने माता-पिता/अधिकृत संरक्षक का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना होगा जिनसे सम्पर्क स्थापित किया जा सके एवं किसी भी प्रकार की सूचना से अवगत कराया जा सके।
7. छात्रावास में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री नहीं रखने दी जायेगी।
8. किसी भी छात्रा को अधिकतम तीन साल तक ही छात्रावास में निवास की अनुमति होगी।
9. छात्रावास संचालन समिति वार्डन के साथ किसी भी समय छात्रावास का निरीक्षण कर सकेगी।
10. कमरों की सफाई व्यवस्था स्वयं छात्राओं द्वारा की जायेगी।
11. छात्रावास से बाहर रात्रि विश्राम करने की अनुमति माता-पिता के निवेदन पर ही वार्डन द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु नियुक्त वार्डन से आवेदन पत्र में अंकित माता-पिता के फोन पर वार्ता करना आवश्यक होगा।
12. किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार/अनाधिकृत कृत्य या छात्रावास के नियमों के उल्लंघन पर वार्डन की अनुशंसा पर संचालन समिति तुरन्त छात्रावास खाली करवा सकती है।
13. छात्राओं को छात्रावास भवन एवं परिसर की सफाई व स्वच्छता को बनाये रखना होगा।
14. प्रवेश फार्म के साथ माता-पिता एवं स्थानीय संरक्षकों के दो-दो फोटो आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
15. प्रवेश ले रही छात्रा के माता-पिता को प्रवेश फार्म के साथ उपलब्ध कराये जा रहे प्रारूप पर स्वयं के एवं अधिकृत स्थानीय संरक्षकों के फोटो एवं सूचना प्रमाणित करना होगा।
6. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में छात्रावास का न्याय क्षेत्र कोटा होगा।
7. छात्रावास में बालिकाएं स्मार्टफोन का सीमित उपयोग करेंगी, रात्रि को 10 बजे बाद फोन का उपयोग प्रतिबन्धित रहेगा।

पिता के हस्ताक्षर

नियम बनाने की शक्तियाँ

1. छात्रावास संचालन समिति को इन नियमों/उप नियमों में संशोधन / संवर्धन करने का पूर्ण अधिकार किसी भी समय होगा।

श्रीमीना बालिका छात्रावास

कोटा

छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र

आवेदक
स्वयं
का
हस्ताक्षरित
फोटो लगावें।

पंजीकरण संख्या :

मैं आपके छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन कर रही हूँ। मेरा पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :-

1. आवेदक का पूरा नाम मो.नं.
2. पिता का नाम मो.नं.
3. माता का नाम मो.नं.
4. जाति (एस.टी., एस.सी./ओबीसी /सामान्य)
5. पिता का व्यवसाय
6. वार्षिक आय
7. आयकर दाता हाँ / नहीं पेन नं.
8. वर्तमान पता
9. स्थायी पता
10. कॉलेज/विद्यालय/कोचिंग संस्थान में
प्रवेश लिया है उसका नाम व जमा कराई गई
फीस की रसीद की प्रति लगावें।
11. स्थानीय संरक्षक का नाम व पता
जिन्हें माता-पिता द्वारा नामित किया गया
है।
(फेमिली फोटो साथ लगाये ।)
12. आरक्षित वर्ग की छात्रायें
जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें
13. अन्य कोई विवरण जो आवेदक देना चाहती हो

14. उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण

क्र. सं.	उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण	वर्ष	विद्यालय/संस्थान का नाम	द्वितीयक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	10वीं. कक्षा					
2	12वीं. कक्षा					
3						
4						
5						

आवेदक द्वारा की गई घोषणा

मैं संस्थान द्वारा बनाये नियमों से सहमत हूँ। यदि मेरे द्वारा दिया गया विवरण गलत पाया जाता है अथवा मैं संस्थान के नियमों का उल्लंघन करती हूँ या किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त पायी जाती हूँ तो प्रबन्ध समिति मेरा प्रवेश निरस्त कर सकती है। मैं संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये फर्नीचर, पंखे इत्यादि के प्रति पूर्णतया जिम्मेदार रहूँगी एवं उनके गुम एवं टूटफूट का हर्जाना मेरे द्वारा देय होगा। मैं प्रमाणित करती हूँ कि उपरोक्त समस्त विवरण सही है। मैं यह भी प्रमाणित करती हूँ कि मैं किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्थान में कार्यरत नहीं हूँ। यदि संस्थान में रहते समय में नौकरी में लग जाती हूँ तो तुरन्त कमरा खाली कर दूंगी व छात्रावास को सूचित कर दूंगी।

मेरी पुत्री छात्रावास परिसर से बाहर यदि किसी भी आपराधिक गतिविधि अथवा अन्य किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि में संलग्न पाई जाती है तो इससे छात्रावास प्रबन्धन का कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसी स्थिति में छात्रावास प्रबन्ध समिति को अधिकार होगा कि वह छात्रा को छात्रावास से निष्कासित कर सकते हैं।

पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

दिनांक

संलग्न दस्तावेज

1. जाति प्रमाण पत्र
2. अंक तालिकाओं की प्रति
3. कोचिंग/संस्था का प्रवेश रसीद
4. संरक्षकों के दो-दो फोटो

कार्यालय उपयोग हेतु

पंजीकरण संख्या

शुल्क प्राप्ति रसीद संख्या दिनांक रूपये

आवंटित रूम संख्या

हस्ताक्षर वाईन







श्री मीना बालिका छात्रावास, छत्रपुरा-कोटा

निवास कर रही छात्राओं से मिलने वाले अधिकृत परिजनों का विवरण

पंजीकरण क्रमांक :

- दिनांक
1. छात्रा का नाममोबाईल
2. पिता का नाममोबाईल
3. माता का नाममोबाईल
4. वर्तमान पता
5. स्थाई पता
6. प्रवेश की तिथि

मिलने वाले अधिकृत परिजनों का विवरण मय फोटो



1. नाम
2. पिता/पति का नाम
3. पता
4. मोबाईल

नोट : माता/पिता एवं संरक्षक के फोन नं. देना आवश्यक होगा।

पिता के हस्ताक्षर

माता के हस्ताक्षर

संरक्षक के हस्ताक्षर





आवृत्त जमीन
13 बीघा (58 एकड़)
कारवा प्रत्येक कर (डिस्ट्री कर) का मुहूर्त
निर्माण कार्य
शुद्धि पर तब शिवाजी का लक्ष्य
प्रस्तावित योजना
वर्ष 2011 में शुरू की जाएगी

टीपल आईटी के सामने, वनपुर, कोल




लागत -
लगभग 1.00 करोड़ रुपये

क्षमता -
65 कमरे 130 छात्रों के लिए

सुविधाएँ -

- साफ सुथरे हवादार कमरे
- खुला वातावरण
- भैस की व्यवस्था
- सभी समाजों के लिए उपलब्ध

शिक्षा सहायता योजनाएँ




अ) कालाबादल शिक्षा सहायता योजना :-

हाड़ौती क्षेत्र के जनजातीय प्रतिभावान छात्र/छात्राओं जिनके स्नातक/स्नातकोत्तर कला वर्ग में 60 प्रतिशत, वाणिज्य में 65 प्रतिशत व विज्ञान में 70 प्रतिशत या अधिक अंक या जिन छात्र/छात्राओं ने (IAS/RAS) की प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा पास कर ली है उनको आर्थिक सहायता या सुविधाएं प्रदान करना।
जिन छात्र/छात्राओं के 10वीं/12वीं में 85 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हों उन प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को सम्मानित करना।



ब) लक्ष्मीनारायण झरवाल शिक्षा सहायता योजना :-

यह योजना प्रदेश की सम्पूर्ण जनजातीय छात्राएं जिन्होंने स्नातक कला वर्ग में 60 प्रतिशत, वाणिज्य वर्ग में 65 प्रतिशत व विज्ञान वर्ग में 70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हो या जो उपरोक्त अंकों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं (IAS/RAS) की तैयारी कर रही हो तथा प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो को मेरिट के आधार पर चयन कर आर्थिक सहायता/अन्य सुविधाएं प्रदान करना।



अखिल भारतीय श्री मीना सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति, कोटा कार्यकारिणी

अध्यक्ष

लक्ष्मण मीना (IPS Retd.)
मो. 94133 88266

कार्यकारी अध्यक्ष

महावीर मीना
मो. 94141 88488

निदेशक

आर.डी. मीना (RAS Retd.)
मो. 94141 80289

उपाध्यक्ष

हमला मीना
मो. 9413828120

उपाध्यक्ष

भरत मारन
मो. 9414191144

उपाध्यक्ष

रामचरण मीना
मो. 9001801111

उपाध्यक्ष

सीताराम मीना (IRS)
मो. 87278 70055

उपाध्यक्ष

रुकमणी मीना
मो. 9462968777

उपाध्यक्ष

गिरधारीलाल बोहरा
मो. 9649544427

उपाध्यक्ष

रघुवीर प्रसाद मीना (मुख्य अभि.)
मो. 8209258619

सह-निदेशक:

हरि नारायण मीना
मो. 94140 42013

सचिव

दीन दयाल मीना
मो. 92145 82838

कोषाध्यक्ष

हरिप्रकाश मीना
मो. 9414288777